संख्या– I/309926/25 /XXVIII-3-25-e file No..82064/2024

प्रेषक,

डॉ० आर० राजेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनु०–03 देहरादून, दिनांकः 24 जून, 2025

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 521/2023 की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्य योजना (2024-25 एवं 2025-26) के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड थैलीसैंण के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, थैलीसैंण को उच्चीकृत कर 50 शैय्यायुक्त उप जिला चिकित्सालय का निर्माण किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्र संख्याः NHM UK/Construction/2024-26/2864, दिनांकः 28.12.2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि NHM कार्य योजना 2024-25 एवं 2025-26 के अंतर्गत स्वीकृत और मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 521/2023 की पूर्ति हेतु जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड थैलीसैंण के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, थैलीसैंण को उच्चीकृत कर 50 शैय्यायुक्त उप जिला चिकित्सालय(PM Gati Shakti Project ID SUSG- DMHF-2025-Pauri Garhwal 000190) के निर्माण कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत आगणन रू. 2360.17 लाख के टी0ए0सी0 नियोजन और व्यय–वित्त समिति के परीक्षणोपरांत औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रू. 2147.00 लाख **की** प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, भारत सरकार द्वारा आंवटित/अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष प्रथम **किश्त** के रूप में 40 प्रतिशत धनराशि रू. 858.80 लाख (रू. आठ करोड़ अटठावन लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि, जो विगत वित्तीय वर्ष में विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के निवर्तन पर रखी गयी है एवं एन०एच०एम० को उपलब्ध करायी गयी है, को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

i. धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रस्तावित कार्यों किसी अन्य योजना से धनावंटन नही किया गया है। डुप्लीकेसी की स्थिति में संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
ii. स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन कदापि न किया जाय।प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन न करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर संधित आहरण–वितरण अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय।
iii. उक्त स्वीकृत धनराशि के पूर्ण व्यय/उपयोग के उपरांत निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सहित द्वितीय **किश्त** का प्रस्ताव शासन में उपलब्ध कराया जायेगा। बिना शासन की अनुमति के कार्यदायी संस्था को द्वितीय किश्त अवमुक्त नही की जायेगी।
iv. भवन का निर्माण IPHS के मानकों, उत्तराखण्ड बिल्डिंग बाय–लॉज एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार कराया जाय।

v. भवन में ग्रीन बिल्डिंग के मानकों के अनुसार आवश्यक प्राविधान रखे जायं और नवीनतम तकनीक का प्रयोग किया जाय। कार्य कराये जाने से पूर्व अग्नि सुरक्षा के कार्यों के प्राविधान को अग्नि सुरक्षा विभाग से वैट अवश्य कराया जाय तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात अग्नि सुरक्षा के कार्यों को मानकों के अनुसार पूर्ण किये जाने पूर्ण किये जाने का प्रमाण–पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

vi. परिसर में विद्युतीकरण के प्राविधानों का विशेष ध्यान रखा जाय। समस्त विद्युत उपकरणों हेतु IEC 62561-7 के मानकों के अनुसार Earthing का कार्य तथा आकाशीय विद्युत से बचाव हेतु Lightning Protection System IEC 62305 मानकों के अनुरूप स्थापित किया जाय। कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व विद्युतीकरण के प्राविधानों को संबंधित विभाग से Vett करा लिया जाय। कार्य पूर्ण के पश्चात विद्युतीकरण एवं अग्निसुरक्षा के कार्यों को मानकों के अनुसार पूर्ण करने का प्रमाण पत्र संबंधित विद्युत सुरक्षा विभाग एवं अग्निशमन विभाग से अवश्य प्राप्त कर लिया जाय। विद्युतीकरण के कार्यों को विद्युत/यांत्रिक अभियंताओं से ही संपादित कराया जाय।

vii. तृतीय पक्ष गुणवत्ता एजेन्सी से तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य कराया जाय।

viii. आगणन की दरें डी०एस०आर 2023 की ली गयी हैं जिन मदों की दरें शेडयूल ऑफ रेटस में उपलब्ध नही हैं, उन मदों की सामग्री की दरों को जैम/बाजार से नियमानुसार प्राप्त करते हुए दर विश्लेषित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन के उपरांत ही इन मदों का कार्य नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कराया जाय।

ix. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भवन की Structural Design एवं Drawing को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वैट अवश्य कराया जाय।

x. योजना के क्रियान्वयन में Cost Effectiveness एवं Energy Efficiency के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

xi. योजना क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

xii. परिसर भवन में स्वतः स्वच्छता की निरंतर व्यवस्था हेतु प्राविधान अवश्य किये जाय।

xiii. परियोजना की लागत पुनरीक्षित होने पर वास्तुविद आदि की Fees में कोई वृद्धि नहीं होगी। वास्तुविद/परामर्शी सेवायें लिये जाने हेतु वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 96873 दिनांक 07.02.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

xiv. अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि की जा रही है। कार्य पर मदवार स्वीकृत आंगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आंगणन धनराशि स्वीकृत की गयी है।

xv. कार्यों की मॉनिटरिंग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड तथा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के स्तर से नियमित रूप से की जाएगी।

xvi. कार्यों को करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए पूर्ण की जायेंगी तथा विभाग द्वारा प्रचलित दरों एवं विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों को सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

xvii. कार्यों पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी प्रत्येक कार्य हेतु मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

xviii. प्रत्येक कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्यस्थलों का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

xix. Reinforcement Steel की मात्रा Bar Bending Schedule के आधार पर आंकलित किया जाये तथा बचत के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग को अवगत कराया जायेगा। विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

xx. निर्माण कार्यों में स्ट्रक्चरल एवं Reinforcement Steel हेतु शत–प्रतिशत प्राइमरी स्टील का

ही प्रयोग किया जाय।

xxi. निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, रोडी, सीमेन्ट तथा सरिया, स्ट्रक्चरल स्टील एवं अन्य प्रयुक्त निर्माण सामग्री का निर्माण से पूर्व आई.एस.कोड के अनुरूप समय–समय पर NABL प्रयोगशाला में परीक्षण आवश्यक कराया जाय।

xxii. निर्माण हेतु Electrical Load के सम्बन्ध में सक्षम स्तर की विशेषज्ञ समिति से परीक्षण एवं अनुमोदन के उपरान्त ही विद्युत भार का निर्धारण किया जाय।

xxiii. इलैक्ट्रिक आईटम्स जैसे–Switch, Wires, MCB, MCCB, AC आदि Plumbing Items जैसे Bath Fittings, Geyser, Water Tank, Pipes Toilet Items, Wood Items आदि क्रय Market Survey /डी०एस०आर० दर के अनुरूप गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर ब्राण्ड नेम निर्धारित कर लिया जाय।

xxiv. बिल्डिंग से सम्बन्धित सभी मानकों के अनुरूप निर्माण सुनिश्चित किया जाय।

xxv. मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से शासन को अवगत करायेंगे।

xxvi. विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी द्वारा प्लान, स्ट्रक्चरल डिजाईन एवं विशिष्टियों पर हस्ताक्षर अवश्य किये जायेंगे, ताकि भविष्य में प्लान, डिजाइन या विशिष्टियों में कार्यदायी सस्था या Contractor के स्तर से परिवर्तन कर कार्य की गुणवत्ता प्रभावित की प्रवृत्ति को रोका जा सके।

xxvii. व्यय किए जाने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

xviii. सम्पूर्ण कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (संशोधित नियमावली, 2019) के अनुरूप कराया जाय।

xxix. सुसंगत मद से एन०एच०एम० को संगत घटक में अवमुक्त धनराशि से मिशन निदेशक द्वारा कार्य की प्रगति के दृष्टिगत तीन माह की आवश्यकता के अनुसार कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड ग्रामीण निर्माण विभाग को धनराशि शासन को सूचित करते हुये उपलब्ध करायी जायेगी।

xxx. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा कार्य पर किये गये व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र GFR-19 पर समय–समय पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

xxxi. निर्माण कार्य हेतु सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांकः 29 जनवरी, 2025 को सम्पन्न विभागीय समिति की बैठक के कार्यवृत्त संख्या–I/275149/2025, दिनांक 13.02.2024 और मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित व्यय–वित्त समिति के कार्यवृत्त संख्या 534/चि0स्वा0/चि0शि0 विभाग/ईएफसी/रायोआ/2025 दिनांक 26.03.2025 में उल्लिखित निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

xxxii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

xxiii. कार्य के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार एम०ओ०यू० अवश्य हस्ताक्षरित किया जायेगा।

xxiv. कार्य की प्रगति की निरंतर समीक्षा करते हुए रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जायेगी तथा कार्यों को निर्धारित समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण कराकर भवन विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

xxv. विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि किसी

अपरिहार्य परिस्थिति में पुनरीक्षण या अन्य किसी नये मद को जोड़ने की आवश्यकता होती हो तो पुनः नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

xxvi. व्यय में मितव्ययता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश संख्या I/287566/E-79713/09/150/2019 xxvii(1)/2025 दिनांक 31.03.2025 और शासनादेश संख्या I/67149/2022 दिनांक 20.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त वित्तीय नियमों/शासनादेशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

:xvii. अग्रेत्तर धनराशि उसी दशा में अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या 12 के सुसंगत लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (व्यय नियत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन में ई–ऑफिस की कम्प्यूटर जनित संख्या I/309672/2025 दिनांक 27.06.2025 में प्रदत्त सहमति के कम में जारी किया जा रहा है।

Digitally signed by Rajan Rajesh Kumar
Date: 27-06-2025 17:24:45

भवदीय

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)

सचिव।

संख्या एवं तिथि तदैव।

प्रतिलिपि: – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वित्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
7. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
8. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by Krishna Kumar Shukla
Date: 27-06-2025 18:14:02

(कृष्ण कुमार शुक्ल)

उप सचिव।